केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 110025

राजभाषा अनुभाग

सं.20—01/13/18-राभा. कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12.01.2018

विषय - संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त ।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2018 की पहली तिमाही बैठक संस्थान के निदेशक, प्रो. सतीश चंद्र की अध्यक्षता में दिनांक 10/01/2018 को पूर्वाहन 11.00 बजे सम्मेलन कक्ष में हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए -

1. श्री यू.के.गुरूविट्ठल, प्रभागीय प्रमुख, जीटीई	सदस्य
2. श्री एस. एस. गहरवार, प्रभागीय प्रमुख, बीईएस	सदस्य
3. श्री सुनील जैन, प्रभागीय प्रमुख, पीईडी	सदस्य
4. श्री बिनोद कुमार, प्रभागीय प्रमुख, आरपी	सदस्य
5. श्री मनोज कुमार शुक्ला, प्रभागीय प्रमुख, एफपीडी	सदस्य
6. डॉ. ई. मधु, प्रभागीय प्रमुख, टीपी	सदस्य
7. श्री ए.के. जैन, प्रभागीय प्रमुख, सिविल	सदस्य
8. डॉ. आर.एन दत्ता, सीसीएन	सदस्य
9. श्री पी.वी प्रदीप कुमार, प्रभागीय प्रमुख, पीएमई	सदस्य
10. डॉ. नीलम जे. गुप्ता, प्रभागीय प्रमुख, आइएलटी	सदस्य
11. सुश्री नीरा अग्रवाल, प्रभागीय प्रमुख, डीएलएस	सदस्य
12. श्री संजीव शंकर, अनुभाग अधिकारी, स्थापना 2	सदस्य
13. डॉ बी.के. दुरई, सलाहकार	आमंत्रित सदस्य
14. श्रीमती संतोष खुट्टन, निजी सचिव, राजभाषा	आमंत्रित सदस्य
15. श्री चंद्रकांत, सहायक, स्थापना 1	प्रतिनिधि
16. श्री अवनीश कुमार, वित्त व लेखा अधिकारी	प्रतिनिधि
17. श्री सुमेर सिंह छछिया, अनुभाग अधिकारी, भंडार व क्रय	प्रतिनिधि
18. डॉ रीना सिंह, वैज्ञानिक, ईएस	प्रतिनिधि
19. श्री आशुतोष अरूणटीईएस ,	प्रतिनिधि
20. श्री राजन टिर्के, सहायक, कार्मिक	प्रतिनिधि
21. श्री मनोज कुमार सिंह, आरपी	नामित
22. श्री वी.के.त्यागी, अधि.अभियंता, सिविल	नामित
23. श्री संजय चौधरी, हिंदी अधिकारी	सदस्य सचिव

श्री अंजुम शर्मा, प्रशासन नियंत्रक एवं श्री सुधांशु कुमार, अनुभाग अधिकारी, सतर्कता, संस्थान के आवश्यक कार्य में संलग्न होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके । डॉ. नीरज शर्मा, प्रभागीय प्रमुख, टीएसडी छुट्टी पर होने अथवा किसी अन्य कारणवश बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके । डॉ. अनुराधा शुक्ला, प्रभागीय प्रमुख, ईएस; डॉ. नीलिमा चक्रवर्ती, प्रभागीय प्रमुख, टीईएस; श्री पदम सिंह, वरिष्ठ वित्त व लेखा नियंत्रक; श्री तारिक बदर, भंडार व क्रय नियंत्रक के प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित हुए ।

बैठक में सर्वप्रथम संस्थान के निदेशक व राकास के अध्यक्ष प्रो. सतीश चंद्र ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया तथा उन्हें विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी । निदेशक महोदय की अनुमति से हिंदी अधिकारी व सदस्य सचिव ने समिति को विश्व हिंदी दिवस का महत्व बताते हुए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी दी ।

मद सं. 1 - बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तिमाही बैठक दिनांक 12.10.2017 को हुई थी । इसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को जारी किया गया था । कार्यवृत्त के बारे में किसी से कोई प्रतिकूल/संशोधन टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

तत्पश्चात् सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में की गई कार्रवाइयों पर मदानुसार प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की । उन पर क्रमश: चर्चा की गई और निर्णय लिए गए ।

मद सं. 1.1 - बैठक में सदस्य सचिव ने पिछली तिमाही के दौरान राजभाषा अनुभाग के द्वारा किये गए कार्यों का उल्लेख करते हुए संस्थान के सभी स्टाफ सदस्यों से राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सहयोग देने का अनुरोध किया । राजभाषा उपलब्धियों के अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17 का हिंदी में अनुवाद, हिंदी कार्यशाला तथा हिंदी में तकनीकी प्रस्तुतीकरण/व्याख्यान का आयोजन, संस्थान के न्यूजलैटर का अनुवाद कार्य पूरा किया गया है । संस्थान की गृह पत्रिका 'सड़क दर्पण' के अंक 15 को अंतिम रूप से तैयार करके प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है । सदस्य सचिव ने बताया कि तकनीकी प्रस्तुतीकरण की श्रृंखला को जारी रखते हुए इस तिमाही में श्री एस.एस. गहरवार के प्रस्तुतीकरण का आयोजन प्रस्तावित है । लेकिन राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने के लिए अन्य प्रभागों एवं अनुभागों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है । निदेशक महोदय ने निदेश दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का दायित्व सभी अनुभागों एवं प्रभागों का है तथा राकास के सदस्यों एवं सभी प्रमुखों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है । **कार्रवाई - राजभाषा अनुभाग व सभी प्रमुख**

मद सं. 2 - बैठक में अक्टूबर से दिसंबर 2017 की तिमाही के लिए अनुभागों एवं प्रभागों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों पर चर्चा की गई । सदस्य सचिव ने बताया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट में भरे जाने वाले आंकड़े तथ्यपरक होने जरूरी हैं । संबंधित रजिस्टरों में पत्रों तथा टिप्पणियों का रिकार्ड रखने के साथ-साथ यह जरूरी है कि इन्हें संशोधित/निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर ही राजभाषा अनुभाग को निर्धारित अवधि के अंदर भिजवाया जाए। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में किए गए संशोधन के संबंध में समिति को बताया गया । आंकड़ों की सत्यता के संबंध में चर्चा के दौरान श्री संजीव शंकर, अनुभाग अधिकारी ने स्वीकार किया कि स्थापना 2 अनुभाग के तिमाही आंकड़ों में त्रुटिवश अंग्रेजी पत्रों की संख्या सम्मिलित नहीं की गई है । समिति ने अनुभव किया कि पत्रों का रिकार्ड न होने के कारण रिपोर्ट में सामान्यत: सही आंकड़े नही भरे जाते । निदेशक महोदय ने निदेश दिया कि सभी अनुभाग एवं प्रभाग हिंदी में संपन्न प्रमुख कार्यों, पत्राचार, टिप्पणियों इत्यादि कार्यों का ब्यौरा/रिकार्ड रखा जाना सुनिश्चित करें । **कार्रवाई -सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख**

मद सं 3 - राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में चर्चा के दौरान निदेशक महोदय ने इस बात को रेखांकित किया कि लक्ष्यों को पूरा करना संस्थान का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए । प्रशासनिक अनुभागों के अंतर्गत फाइलों पर की जाने वाली टिप्पणियों तथा पत्राचार बढ़ाने का अनुरोध करते हुए सदस्य सचिव ने यह बताया कि नियमित और बारंबार किए जाने वाले कार्यों का हिंदी में मानक प्रारूप तैयार करके और इनके प्रयोग से अनुभागों द्वारा हिंदी कार्य में वृद्धि करने की आवश्यकता है । निदेशक महोदय ने निदेश दिया कि सभी अनुभाग/प्रभाग, धारा 3(3) के दस्तावेजों के अलावा अपने पत्र-शीर्ष, स्टैम्प, नाम-पट्ट, विजिटिंग कार्ड, चार्ट, प्रदर्शन सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पोस्टर, बैनर, पाठ्य-सामग्री आदि को द्विभाषी रूप में बनवाना एवं इनका प्रयोग/प्रदर्शन सुनिश्चित करें । **कार्रवाई - सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख**

मद सं .3.1 - संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा की गई । सदस्य सचिव ने बताया कि वॉइस टाइपिंग एवं रोमन टाइपिंग के द्वारा हिंदी में कार्य की मात्रा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया जा सकता है । इसके लिए ऑनलाइन सहायता भी उपलब्ध है । हिंदी में काम करने के लिए ऑनलाइन शब्दकोष एवं अनुवाद की सुविधा का उपयोग सहज रूप से किया जा सकता है । इस संदर्भ में संस्थान के प्रशासन में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों को देने के लिए प्रशासनिक शब्दावली क्रय करने का प्रस्ताव रखा

गया। हिंदी काम में सहायता के लिए संस्थान की सभी फाइलों पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाली छोटी-छोटी टिप्पणियाँ हिंदी में प्रिंट की गई हैं जो आगे भी अनिवार्य रूप से जारी रखी जाएंगी । निदेशक महोदय ने निदेश दिया कि फाइलों एवं फोल्डर पर संस्थान के लोगो (logo) के साथ प्रचलित अंग्रेजी एवं हिंदी टिप्पणियां छपवाई जाएं । प्रशासनिक शब्दावली के क्रय तथा हिंदी टिप्पणियों से युक्त फोल्डर के प्रस्तावों पर समिति ने अपनी सहमति व्यक्त की । **कार्रवाई - सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख तथा भंडार एवं क्रय नियंत्रक**

मद सं .4 - संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति को संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में अब तक की प्रगति पर बैठक में चर्चा की गई । सदस्य सचिव ने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए संस्थान के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नियमित कार्रवाई अपेक्षित है । कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य से संबंधित समस्याओं के लिए सीसीएन प्रभाग की सहायता ली जा सकती है। आश्वासनों को पूरा करने में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों एवं सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों का महत्वपूर्ण दायित्व है । यह निर्णय लिया गया कि आश्वासनों की सूची तथा संबंधितों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाए।

कार्रवाई - प्रमुख, सीसीएन, सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख, सभी राकास सदस्य

बैठक का उपर्युक्त कार्यवृत्त सभी संबंधितों को निदेशक महोदय के अनुमोदन से सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है ।

16/1/2018

(अंजुम शर्मा)
प्रशासन नियंत्रक

सेवा में -

1. निदेशक महोदय के निजी सचिव - सूचनार्थ
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य
3. प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन - संस्थान की वेबसाइट पर कार्यवृत्त को अपलोड कराने के अनुरोध सहित.

प्रतिलिपि -

1. वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, सीएसआईआर, नई दिल्ली,
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/कार्यवाहक निदेशक/वरि.हिंदी अधिकारी/हिंदी अधिकारी/प्रभारी
3. उपनिदेशक, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली
4. कार्यालय प्रति